न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 77/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/112

प्रार्थीया :–
कंचनदेवी पुत्री शिवनारायण पत्नि पुरूषोतम जाति ब्राह्मण निवासी साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल निवास गुरो का तालाब, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक 04.04.2024

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

''आदेश'' दिनांक : 29.09.2025

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम साथीन चक प्रथम तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 1004 रकबा 10.0154 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई हैं । उक्त भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की पुश्तैनी सहदायगी सम्पति है जो प्रार्थीया को अपने पिता स्व. शिवनारायण जी से प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थीया का 9/200 वां हिस्सा है । प्रार्थीया अपने 9/200 वां हिस्सा पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करती आ रही हैं। वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा किया हुआ नही हैं। प्रार्थीया ने अपने वादग्रस्त आराजी की राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.03.2024 को हल्का पटवारी से सम्पर्क किया इस पर हल्का पटवारी ने कहा कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में चंचल दर्ज हैं तथा प्रार्थीया का नाम कंचन देवी है इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाना पड़ेगा इस पर प्रार्थीया ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तथा अप्रार्थी से प्रार्थीया का नाम चंचल के स्थान पर कंचन देवी करवाने हेतु निवेदन किया तथा दुरूस्ती करवाने बाबत् कहा इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय हाजा से करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश करना पड़ रहा हैं। प्रार्थीया का नाम कंचन देवी है तथा प्रार्थीया के नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार कार्ड बना हुआ है जिसमें प्रार्थीया का नाम कंचन देवी हैं। लेकिन प्रार्थीया को बोल चाल भाषा में चंचल नाम से भी जाना जाता है इसलिए राजस्व रेकर्ड में सेवन से राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवंश प्रार्थीया का नाम चंचल दर्ज कर दिया जबकि अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम कंचन देवी है इसलिए प्रार्थीया राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाकर चंचल पुत्री शिवनारायण के स्थान पर कंचन देवी पुत्री शिवनारायण पत्नि पुरूषोतम दर्ज करवाना चाहती हैं। मामला रेकर्ड दुरूस्ती का होने एवं वादग्रस्त आराजी ग्राम साथीन चक प्रथम की राजस्व सीमा में स्थित होने से

प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है तथा अन्द मियाद पेश हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम चंचल पुत्र शिवनारायण हिस्सा 9/200 वां के स्थान पर दुरूस्ती फरमायी जाकर कंचन देवी पुत्री शिवनारायण पत्नि पुरषोतम हिस्सा 9/200 वां दर्ज/इन्द्राज करवाया जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष हो हित प्रार्थीया हो प्रार्थीया के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया हैं कि ग्राम साथीन चक प्रथम की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1004 रकबा 10.0154 किस्म बारानी द्वितीय स्थित है राजस्व अभिलेख अनुसार स्वीकार्य हैं। प्रार्थीया का हिस्सा एवं पुश्तैनी सम्पति के रूप में उल्लेखित हैं। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी भूमि है एवं बंटवाड़ा किया हुआ नही हैं। प्रार्थीया का नाम कंचन देवी है एवं बोल चाल की भाषा में चंचल कहा/जाना जाता है । हल्का पटवारी साथीन चक प्रथम की रिपोर्ट अनुसार विरासत के नामान्तरण सं. 2440 दिनांक 20.12.2010 द्वारा प्रार्थीया का नाम चंचल ही राजस्व अभिलेख में शुरूआत से दर्ज हैं। प्रार्थीया के पिता शिवनारायण के एक पुत्री ही है जिनको दो नामो से जाना जाता हैं एवं चंचल एवं कंचन दोनो एक ही हैं। अतः प्रार्थीया का नाम चंचल पुत्री शिवनारायण के स्थान पर कंचन पुत्री शिवनारायण दर्ज किया जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम साथीन चक प्रथम खसरा नम्बर 1004 रकबा 10.0154 हैक्टयर में से चंचल पुत्री शिवनारायण के स्थान पर कंचन पुत्री शिवनारायण का नाम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर